

हाथ

गोपनीय
महोदय
26/12

रवि (संकेत) 1

आधिकारिक सचिव
24 दिनांक 07-ज0वि0प्र0-
सारण, छपरा
प्रषक,

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

2011 749 खाद्य,पटना/दिनांक- 4.2.2011

जयशंकर प्रसाद यादव
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपने क्षेत्र में जन-अदालत का आयोजन करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि माननीय विभागीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक- 07.12.2010 को अनुमंडल पदाधिकारियों को आपूर्ति सम्बन्धि शिकायतों की सुनवाई जन-अदालत लगाकर करने का निदेश दिया गया था । आपसे अनुरोध है कि अपने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे अगले एक वर्ष का जन-अदालत का आयोजन संबंधी कार्यक्रम तैयार कर विभाग को भेजे तथा उक्त कार्यक्रम के अनुसार प्रखंडों में जन-अदालत लगाकर शिकायतों की स्थल पर सुनवाई कर इसका निराकरण तत्क्षण करें । प्रत्येक माह में आयोजित किये गये जन-अदालत तथा उसमें निष्पादित मामले के सम्बन्ध में भी प्रतिवेदन अनुमंडलों से प्राप्त कर विभाग को प्रत्येक माह में भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

RR 20
264
26/12/11

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
खाद्य,पटना/दिनांक- 4.2.2011

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0- /2011 749

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

साथ सहायक सचिव (जिला आपूर्ति शाखा), छपरा

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, सारण/महोदय/सौरभ सरकार के संयुक्त सचिव को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अगले एक वर्ष के जन अदालत के आयोजन संबंधी तैयार एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध होने की हवा दी जाए इससे अति आवश्यक समझा जाए।

जिला खाद्य एवं उपभोक्ता पदाधिकारी
सारण, छपरा